मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक ४ सितम्बर, १९९६ (भाद्र १३, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन.

१. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

२. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(१) **श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल,** विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २६ सन् १९७६) की धारा ३० की उपधारा (२)-(१) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष १९८९-९०, १९९०-९१, १९९१-९२, १९९२-९३ एवं १९९३-९४ पटल पर रखेंगे.

(२) **श्री बी.आर. यादव,** कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का २५ वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९३-९४ पटल पर रखेंगे.

३. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(१) **डॉ. कन्हैयालाल शर्मा,** सदस्य, रायपुर जिले की बिलाईगढ़ एवं कसडोल तहसीलों में राहत कार्य बन्द किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२) **सर्वश्री बाबूलाल गौर,** ईश्वरदास रोहाणी, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर शहर में इसाई चर्च एवं न्यास की जमीन को शासन की अनुमति के बगैर बिक्री किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(३) **श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी,** सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम चुनाहजूरी,चिखली में वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(४) **कुंवर विजय शाह,** सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम मंगलझीरा में वन कर्मियों द्वारा आदिवासियों से मारपीट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(५) **श्री बनवारीलाल अग्रवाल,** सदस्य, बिलासपुर जिले की खूटाघाट जलाशय के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि की नीलामी किए जाने से कृषकों में रोष होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(६) **सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल,** उदय मुदलियार, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कम वर्षा से फसलों के लिये पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(७) **श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा,** सदस्य, सागर भूमि विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(८) **युवराज तुकोजीराव पवार,** सदस्य, देवास नगर में जप्त अवैध शराब के दोषियों पर कार्यवाही न की जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(९) **सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल,** बच्चन नायक, नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, राजनांदगांव जिले के मोहड़ स्थित कारखाने के मजदूरों की छटनी से उत्पन्न विवाद की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(१०) **सर्वश्री ओमप्रकाश खटीक,** नीलम सिंह यादव, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम रेटया के आदिवासियों के साथ वन कर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(११) **श्री बाबूलाल गौर,** डॉ. नरेश सिंह गुर्जर, श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम उण्डवा के एक व्यक्ति की पुलिस द्वारा कथित हत्या की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१२) **डॉ. गौरीशंकर शेजवार,** श्री भंवरसिंह शेखावत, सदस्य, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घायलों का उपचार न किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१३) **श्री दाऊराम रत्नाकर,** सदस्य, मण्डला जिले के गांवों के पीने के पानी में फ्लोराइड़ की अधिकता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१४) **श्री दिलीप भटेरे,** श्रीमती करूणा शुक्ला, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम सिरेगांव के कुंए में जहरीली गैस से तीन व्यक्तियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१५) **श्री किशोरी लाल वर्मा,** सदस्य, खण्डवा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दवा खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१६) **श्री डोमनसिंह नगपुरे,** सदस्य, बालाघाट जिले में अल्प वर्षा के कारण श्रमिकों द्वारा पलायन किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

४. शासकीय विधि विषयक कार्य.

३ घन्टे (शेष ४५ मिनिट)

(१) **श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल,** संसदीय कार्य मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय विधेयक, १९९६ (क्रमांक ११ सन् १९९६) पर विचार किया जाय- चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(२) **श्री रविन्द्र चौबे,** राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १८ सन् १९९६) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

५. नियम १४२-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा.

४५ मिनिट

प्रदेश की अधूरी सिंचाई/लम्बित सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, उदय मुदलियार, बच्चन नायक, छत्रपति सिंह एवं रामलखन सिंह (त्यौंथर), सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

६. नियम ५२ के अधीन आधे घन्टे की चर्चा.

(१) दिनांक १९ मार्च, १९९६ को श्रम मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५० (क्रमांक ६६२१) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(२) दिनांक २० अगस्त, १९९६ को मछली पालन मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११ (क्रमांक ६०२) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मोती कश्यप, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल.
दिनांक ३ सितम्बर, १९९६.